न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 72/2023
निर्णय दिनांकः– 23.09.2024
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

जगदीश पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. बद्री पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. श्यामसुन्दर पुत्र रामफूल जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री संजीव कुमार पारीक अधिवक्ता वादी
श्री दुर्गालाल मेघवंशी अधिवक्ता प्रति0सं0 1 लगा0 3
वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 23.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 70 के खसरा नम्बर 97 रकबा 6.9800 हैक्टेयर वाके ग्राम नैनस्या तहसील फागी एवं खाता संख्या 462 के खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94 कुल किता 34 कुल रकबा 6.7902 हैक्टेयर, खाता संख्या 273 के खसरा नम्बर 1466, 1467, 1470, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518, 1524, 33, 34, 35, 36, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 89, 90, 920, 921, 939, 95, 96 कुल किता 54 कुल रकबा 28.2238 हैक्टेयर खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 1471, 842, 843 कुल किता 03 कुल रकबा 6.0443 हैक्टेयर, खाता संख्या 393 के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खाता संख्या 239 के खसरा नम्बर 52/5 रकबा 10.1160 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में खाता संख्या 70 में वादी

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

का हिस्सा 1/5 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 462 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/32 – 1/32 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/4 – 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 273 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हिस्सा 1/32 – 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व खाता संख्या 139 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हिस्सा 1/32 – 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 393 में प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/32 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 239 में वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक के 1/12 – 1/12 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसानर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है वादग्रस्त सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती आय से प्राप्त सम्पति है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण बराबर हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में कुछ आराजी वादी अकेले के नाम एवं कुछ आराजी प्रतिवादीगण अकेले के नाम दर्ज है। जिसको लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड आराजी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण बराबर–बराबर हिस्सों में बाटकर उक्त सम्पति का उपयोग उपभोग करेगें जिससे कि परिवार में आगे जाकर कोई लडाई–झगडा नही हो। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी को चार भागों में अर्थात 1/4 – 1/4 हिस्से में बांटकर इसी अनुसार एक–दूसरे के नाम लगा देने का समझौता हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पति में अपने–अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हक व हिस्से का हकत्याग पारिवारिक समझौते अनुसार आपस में एक–दूसरे के कर देगें। इसमें हम वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व ऐतराज नही होगा। इस प्रकार पारिवारिक समझौता करते हुये वादी को मौके पर कब्जा संभला दिया एवं प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त सम्पति में कोई हिस्सा शेष नही रहा। इस बाबत् वादी ने बाहमी पारिवारिक समझौता की पालना में प्रतिवादीगण को कई बार नाम लगाने हेतू कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा ही वादी को नाम लगाने का आश्वासन देते रहे है। जिस पर वादी एक ही परिवार के सदस्य होने से प्रतिवादीगण के द्वारा दिये गये आश्वासनों पर आश्वस्त रहे है परन्तु प्रतिवादीगण ने आज दिन तक उक्त वादग्रस्त सम्पति को बाहमी पारिवारिक समझौता के आधार पर वादी के नाम नहीं लगाया। जबकि वादी उदत वादग्रस्त सम्पति पर पारिवारिक समझौते के अनुसार

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त है लेकिन वादग्रस्त सम्पति को पारिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम नहीं लगवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने से वादी को राजकीय सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही होने से वादी को भारी क्षतिकारित हो रही है। इसलियें वादी को अपने हिस्सें की गैर मुमकिन चाह को पारिवारिक समझौते के आधार पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के नाम लगाने की घोषणा करवाने हेतू वादीगण को उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। अभी हाल ही में दिनांक 10/07/2023 को वादी ने उक्त बाहमी पारिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पति नाम लगवाने हेतू कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये और कहा कि हम किसी पारिवारिक समझौते को नही मानते उक्त वादग्रस्त सम्पति हमारे नाम है जिसका हम दीगर व्यक्ति को वैचान कर तुम्हे तुम्हारे कब्जे एवं उपयोग उपभोग से जबरन वेदखल करके रहेंगे। इसलिए वादी को यह वाद घोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मनसूवे में कामयाब हो गये तो वादी को नातालाफी नुकसान होगा व खर्चे से जेरबार होना पडेगा व्यर्थ मे मुकदमे बाजी वढेगी वादी को असहनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हुआ है। वादी को वाद कारण दिनांक 10.07.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक समझौते की पालना से इंकार करने एवं दीगर व्यक्ति को बैचान कर बेदखल करने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ है । जो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान् निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद की सुनवाई व निस्तारण का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की और से अधिवक्ता श्री दुर्गालाल मेघवंशी उपस्थित आये।

वादी व प्रतिवादी सं0 1 स्वयं हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया तथा अपने राजीनामा मे बताया की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातो मे अलग अलग नाम होने एवं अधिक हिस्सा होने से विवाद चल रहा था। जिसमें हम पक्षकारान के मध्य उक्त खातो की सम्पूर्ण भूमि बराबर बराबर अर्थात 1/4 – 1/4 हिस्सा करने

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

में सहमत है। जिसके अनुसार खाता सं. 70 में प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/5 में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 — 1/4 हिस्सा, एवं खाता सं. 462 में प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/32 — 1/32 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 — 1/4 हिस्सा, खाता सं0 273 मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 1/32 — 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 — 1/4 हिस्सा व खाता सं. 139 में प्रतिवादी सं. 02 व 03 का हिस्सा 1/32 — 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 — 1/4 हिस्सा व खाता सं. 393 में प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/32 में वादी व प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 — 1/4 हिस्सा व खाता सं. 239 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रत्येक के 1/12 — 1/12 हिस्से मे वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 — 1/4 हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी सं0 4 व 5 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। प्रतिवादी सं0 4 व 5 के विरूद्व दिनांक 19.09.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे वाद के तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 — 2079 वाके ग्राम नैनस्या के खाता सं0 70 व मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 — 2078 वाके ग्राम निमेडा के खाता सं0 462, 273, 139, 339, 239 मे वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चूका है तथा अपने राजीनामा मे मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 70 के खसरा नम्बर 97 रकबा 6.9800 हैक्टेयर वाके ग्राम नैनस्या तहसील फागी एवं खाता संख्या 462 के खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94 कुल किता 34 कुल रकबा 6.7902 हैक्टेयर, खाता संख्या 273 के

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

खसरा नम्बर 1466, 1467, 1470, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518, 1524, 33, 34, 35, 36, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 89, 90, 920, 921, 939, 95, 96 कुल किता 54 कुल रकबा 28.2238 हैक्टेयर खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 1471, 842, 843 कुल किता 03 कुल रकबा 6.0443 हैक्टेयर, खाता संख्या 393 के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खाता संख्या 239 के खसरा नम्बर 52/5 रकबा 10.1160 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात मे खाता सं. 70 में प्रतिवादी सं0 1का हिस्सा 1/5 में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा, एवं खाता सं. 462 में प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/32 – 1/32 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा, खाता सं0 273 मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 1/32 – 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता सं. 139 में प्रतिवादी सं. 02 व 03 का हिस्सा 1/32 – 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता सं. 393 में प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/32 में वादी व प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता सं. 239 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रत्येक के 1/12 – 1/12 हिस्से मे वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

जगदीश पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. बद्री पुत्र कजोड जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. श्यामसुन्दर पुत्र रामफूल जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 72/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री संजीव कुमार पारीक हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी श्री दुर्गालाल मेघवंशी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 70 के खसरा नम्बर 97 रकबा 6.9800 हैक्टेयर वाके ग्राम नैनस्या तहसील फागी एवं खाता संख्या 462 के खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94 कुल किता 34 कुल रकबा 6.7902 हैक्टेयर, खाता संख्या 273 के खसरा नम्बर 1466, 1467, 1470, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518, 1524, 33, 34, 35, 36, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878, 89, 90, 920, 921, 939, 95, 96 कुल किता 54 कुल रकबा 28.2238 हैक्टेयर खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 1471, 842, 843 कुल किता 03 कुल रकबा 6.0443 हैक्टेयर, खाता संख्या 393 के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खाता संख्या 239 के खसरा नम्बर 52/5 रकबा 10.1160 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात मे खाता सं. 70 में प्रतिवादी सं0 1का हिस्सा 1/5 में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा, एवं खाता सं. 462 में प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/32 – 1/32 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा, खाता सं0 273 मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 1/32 – 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता सं. 139 में प्रतिवादी सं. 02 व 03 का हिस्सा 1/32 – 1/32 में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता सं. 393 में प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/32 में वादी व प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा व खाता सं. 239 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रत्येक के 1/12 – 1/12 हिस्से मे वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज ..X.. मुबलिग ..X.. बाबत ..X.. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..X.. फीसदी ..X.. सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..X.. का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/09/2024 को जारी की गई।

23/9/24

दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

23/9/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू